

(प्रशासन गांवों के संग अभियान- 2021, कैम्प 33/34/35)

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0)

पीठासीन अधिकारी-

सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस

मिसल संख्या:- 553 | 2021

-:आदेश:-

दिनांक 18-11-2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं सरपंच ग्राम पंचायत मालोठ व तहसीलदार बुहाना की अभिशांभा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम मालोठ पटवार मण्डल मालोठ की जमाबन्दी सम्वत् 2015-78 के खाता संख्या 325 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (मू0अ0) को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	<u>मालोठ</u>	<u>325</u>	<u>विद्या देवी पत्नि</u> <u>अर्जुन सिंह</u>	<u>विद्या देवी पत्नि</u> <u>अर्जुन सिंह</u>

नोट - रहन यदि कोई हो तो निर्णय/आदेश की पालना रहनमुक्त के पश्चात करे।

क्रमांक :- राजस्व/2021/ 334-35

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बुहाना को वास्तु पालनार्थ (दो प्रति)

2. प्रार्थी विद्या देवी w/o अर्जुन सिंह
जात अतीर निवासी मालोठ

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना
दिनांक :- 18/11/2021



उपखण्ड अधिकारी बुहाना

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुन्झुनू (राज.)